

प्रेषक,

निदेशक,
पशुपालन विभाग
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
पशुपालन विभाग, लखीमपुर खीरी/सीतापुर/रामपुर/बाराबंकी/बिजनौर।

संख्या 371

/इपीडी0/बाढ़/2014-15, दिनांक 01.09.2014

विषय:-
महोदय,

प्रदेश में बाढ़ की स्थिति के सम्बन्ध में।


कृपया राहत आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन के दैवीय आपदा नियंत्रण कक्ष की रिपोर्ट दिनांक 27.7.2014 के द्वारा अवगत कराया है कि जनपद लखीमपुर खीरी में 6 पशु शिविर लगाये गये जिसमें 152 पशु उपचारित किये गये तथा 03 पशु हानि दर्शायी गयी। इसी प्रकार जनपद सीतापुर में कोई भी पशु शिविर न लगने, उपचार न होने तथा शून्य पशु हानि से अवगत कराया गया है।

जनपद रामपुर में 01 पशु हानि से, टीकाकरण एवं उपचार, की रिक्त सूचना एवं जनपद बाराबंकी में 37 पशु शिविर में 61 पशु उपचारित होने एवं 1364 पशुओं का टीकाकरण, शून्य पशु हानि तथा जनपद बिजनौर में 10 पशु शिविर में 360 पशु उपचार एवं 20735 पशुओं का टीकाकरण तथा 08 पशु हानि हुयी है।

उपरोक्त से स्वतः स्पष्ट है कि आप द्वारा अपने जिलाधिकारी को यह सूचना दी गयी और उनके द्वारा यह सूचना राहत आयुक्त उ०प्र० शासन कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। जबकि निदेशालय स्थित कन्दौल रूम में इस प्रकार की सूचना नहीं दी गयी, जो इस कार्यालय के पत्र संख्या-337/इपीडी0/2014-15, दिनांक 10.6.2014 एवं पूर्व में दिये गये दिशा निर्देश का उल्लंघन है।

अतः उपरोक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीन जनपद में दैवीय आपदा सम्बन्धी संकलित सूचना इस कार्यालय के कन्दौल रूम के दूरभाष नं०-0522-2741991-92 के माध्यम से तत्समय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यह संज्ञान में लें कि यदि आपदा जैसी गम्भीर स्थिति से पशु हानि एवं पशु बीमारी की सूचना विभागीय श्रोत के अतिरिक्त मीडिया अथवा जनपद/मण्डल के पशुधन विभाग के अतिरिक्त विभाग द्वारा प्राप्त होती है तो आपके शिथिल अनुश्रवण एवं संवेदनशील न होने के लिए उत्तरदायित्व को समझा जायेगा। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति होने पर शिथिलता के लिए आपके विरुद्ध कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों को अवगत करा जायेगा।


भवदीय,


(रुद्र प्रताप)
निदेशक।

संख्या 371 /इपीडी0/एन०ए०डी०आर०एस०/2014-15, दिनांक

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, लखनऊ/मुरादाबाद/फैजाबाद को सघन अनुश्रवण एवं स्थलीय भ्रमण कर मार्गदर्शन प्रदान करने एवं जनपदों से नियमित दैनिक सूचना संप्रेषण हेतु निर्देशित करने के लिए प्रेषित।
- 2- प्रमुख सचिव, पशुधन, उ०प्र०शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- 3- प्रमुख सचिव, राजस्व एवं राहत आयुक्त, उ०प्र०शासन, बापू भवन, लखनऊ।


(रुद्र प्रताप)
निदेशक।